दिनांक–28.03.2025 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक उपायुक्त–सह–अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक आहुत की गई, जिसमें निम्न पदाधिकारियों ने भाग लिया :–

उपस्थिति–पंजी के अनुसार

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, देवघर	अध्यक्ष
वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर।	सदस्य
जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर	सदस्य
श्री दीपक मुर्मू, सदस्य, जि0प0, देवघर	सदस्य
सोनी सोरेन, सदस्य, जिला परिषद, देवघर	सदस्य
श्री राजेन्द्र दास, सदस्य, जिला परिषद, देवघर	सदस्य

सर्वप्रथम जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर, द्वारा बैठक में उपस्थित वनाधिकार समिति के अध्यक्ष–सह–उपायुक्त एवं अन्य सदस्यों को यह बताया गया कि वन अधिकार अधिनियम–2006 के तहत् अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक 43/रा0, दिनांक 27.03.2025 एवं ज्ञापांक 44/रा0, दिनांक 27.03.2025 के द्वारा **झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0वी द्विपथ Hansdiha-Jasidih संचरण लाईन निर्माण** के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि क्षेत्र का वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत FRA कराने के संबंध में निम्नांकित मौजा का प्रस्ताव अनुमंडल वनाधिकार समिति, देवघर से अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है तथा उक्त परियोजना में पढ़ने वाले वनभूमि का सत्यापन वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर के पत्रांक 222 दिनांक 01.02.2023 के द्वारा किया गया है। जिसकी विवरणी प्रखंडवार/मौजावार निम्नवत् है :–

प्रस्ताव सं0–01 **झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0वी द्विपथ Hansdiha-Jasidih संचरण लाईन निर्माण में पड़ने वाले वन भूमि, जंगल–झाड़ी भूमि का विवरणी :–**

Sl. No.	Block Name	Village Name	Thana No	Jamabandi No	Plot No	**Acquired Area (HA)**	JJ Area (Ha)	PF Area (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mohanpur	बलथर	891	65	1138	0.9697	0.9697	0.00
2	Mohanpur	सिकटिया	878	52	759	0.5612	0.00	0.5612
3	Mohanpur	रोपनी	886	25	536	0.1538	0.1538	0.00
				26	533	1.5800	1.5800	0.00
				26	533	0.2718	0.00	0.2718
4	Mohanpur	बुढवाकुरा	888	42	345	0.6299	0.6299	0.00
					64	0.0517	0.0517	0.00
5	Mohanpur	जमुनियाँ	887	41	481	0.3016	0.3016	0.00
					878	0.2937	0.2937	0.00
					426/1122	0.4839	0.4839	0.00
				40	879	0.0592 and 0.1855	0.1855	0.0592
6	Mohanpur	गंधवा	508	15	80	0.3200 and 0.4620	0.4620	0.3200
7	Mohanpur	बलजोरा	507	21	335	0.2800	0.2800	0.00
8	Mohanpur	दुधवाजोर	874	17	249	0.9860	0.00	0.9860

9	Mohanpur	पिरामोह	869	28	446	0.6051	0.6051	0.00
10	Mohanpur	फुटाबांध	890		225	0.2944	0.2944	0.00
					255	1.2700	1.2700	0.00
					310	0.1844	0.00	0.1844
					304	0.0012	0.00	0.0012
					305	0.1017	0.00	0.1017
					308	0.0320	0.00	0.0320
11	Deoghar	गरीबखील	243	8	21	0.0247	0.0247	0.00
				13	22	0.8790	0.8790	0.00
				12	147	0.1183	0.1183	0.00
						11.1008	~~[illegible]~~ 8.5833	**2.5175**

उपरोक्त प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन के पश्चात् सर्वसम्मति से उपरोक्त ग्रामों में **झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0वी द्विपथ Hansdiha-Jasidih संचरण लाईन निर्माण** के क्रम में पड़ने वाले वन भूमि क्षेत्र का अपयोजन के लिए अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, देवघर से प्राप्त अनुशंसा एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त भूमि का सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रमाण पत्र FRA निर्गत करने की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही यूजर एजेन्सी को निदेश दिया जाता है कि वन प्रमंडल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर से सम्पर्क स्थापित कर उपरोक्त प्रस्ताव को ऑनलाईन के माध्यम से समर्पित किया जाय।

प्रस्ताव सं0–02 – जिला कल्याण पदाधिकारी, देवघर के द्वारा बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक 80/रा0 दिनांक 09.09.2024 के द्वारा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, देवघर से **प्रखंड–देवीपुर अन्तर्गत ग्राम ढकढका के मनसा मण्डा हरिजन टोला से मुख्य पथ तक सड़क निर्माण** एवं अनुमंडल पदाधिकारी, देवघर के ज्ञापांक 06/रा0 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति, देवघर से पारित कर **देवीपुर अंचल अन्तर्गत ग्राम बेड़मुका तथा गोबरदाहा को मुख्य पथ तक सड़क निर्माण हेतु** वनभूमि का सामुदायिक वन पट्टा निर्गत करने हेतु दावा प्राप्त हुआ है। प्राप्त अभिलेख के समीक्षा में पाया गया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत सामुदायिक अधिकार आमतौर पर स्थानीय समुदायों द्वारा वन संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों के लिए प्रदान किए जाते है, जैसे कि लघु वन उत्पाद एकत्र करना, चराई और सामान्य संसाधनों तक पहुँच इत्यादि। वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत सड़क निर्माण से संबंधित वैसे मामले जिसमें वनभूमि एक हेक्टेयर से कम हो तथा पातित किये जाने वाले वृक्षों की संख्या 75 से कम हो में स्वीकृति का प्रावधान है। चूंकि यह प्रस्ताव ग्राम सभा द्वारा अनुशंसित है, सरकारी कार्यान्वयन एजेंसी यह प्रस्ताव विधिवत वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(2) के तहत वन प्रमंडल कार्यालय, देवघर में सभी वांछित अभिलेखों के साथ समर्पित करने हेतु निदेशित किया जाता है।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

दीपक मुर्मू,
सदस्य, जिला परिषद, देवघर।

सोनी सोरेन,
सदस्य, जिला परिषद, देवघर।

राजेन्द्र दास,
सदस्य, जिला परिषद, देवघर।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
देवघर।

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
देवघर वन प्रमंडल, देवघर।

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, देवघर।

ज्ञापांक :665/जि0क0, देवघर, दिनांक–15/04/25

प्रतिलिपि : सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : वरीय प्रबंधक, संचरण प्रमंडल, दुमका को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका/सरकार के सचिव, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

28/03/25

उपायुक्त–सह–अध्यक्ष,
जिला स्तरीय वन अधिकार समिति,
देवघर।

FORM-1

Annexure-1

(*For linear projects*)

Government of Jharkhand

Office of the District Collector Deoghar

****

No. ......666.....

Dated......15/04/2025......

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **11.1008 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **झारखण्ड उर्जा संचरण निगम लिमिटेड द्वारा 132 के0वी द्विपथ Hansdiha-Jasidih संचरण लाईन निर्माण** (purpose for diversion of forest land) in **Deoghar** district falls within Jurisdiction **of बलथर, सिकटिया, रोपनी, बुढ़वाकुरा, जमुनियाँ, गंधवा, बलजोरा, दुधवाजोर, फुटाबांध** village's in **Mohanpur** tehsils and **गरीबखील** village's in **Deoghar** tehsils. Details of land noted below :-

Sl. No.	Block Name	Village Name	Thana No	Jamabandi No	Plot No	**Acquired Area (HA)**	JJ Area (Ha)	PF Area (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mohanpur	बलथर	891	65	1138	0.9697	0.9697	0.00
2	Mohanpur	सिकटिया	878	52	759	0.5612	0.00	0.5612
3	Mohanpur	रोपनी	886	25	536	0.1538	0.1538	0.00
				26	533	1.5800	1.5800	0.00
				26	533	0.2718	0.00	0.2718
4	Mohanpur	बुढवाकुरा	888	42	345	0.6299	0.6299	0.00
					64	0.0517	0.0517	0.00
5	Mohanpur	जमुनियाँ	887	41	481	0.3016	0.3016	0.00
					878	0.2937	0.2937	0.00
					426/1122	0.4839	0.4839	0.00
				40	879	0.0592 and 0.1855	0.1855	0.0592
6	Mohanpur	गंधवा	508	15	80	0.3200 and 0.4620	0.4620	0.3200
7	Mohanpur	बलजोरा	507	21	335	0.2800	0.2800	0.00
8	Mohanpur	दुधवाजोर	874	17	249	0.9860	0.00	0.9860
9	Mohanpur	पिरामोह	869	28	446	0.6051	0.6051	0.00
10	Mohanpur	फुटाबांध	890		225	0.2944	0.2944	0.00
					255	1.2700	1.2700	0.00
					310	0.1844	0.00	0.1844
					304	0.0012	0.00	0.0012
					305	0.1017	0.00	0.1017
					308	0.0320	0.00	0.0320
11	Deoghar	गरीबखील	243	8	21	0.0247	0.0247	0.00
				13	22	0.8790	0.8790	0.00
				12	147	0.1183	0.1183	0.00
						11.1008	**8.5833**	**2.5175**

It is further certified that :-

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **11.1008 Hectares** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure... to annexure **... Not Applicable.**

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and Gram-Sabha have given their consent to it ..... **Not Applicable.**

(c) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

28/03/25

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
Deoghar.

Memo No....666..../(Welfare), Deoghar, Date...15/4/2025

Copy To

1. Senior Manager, Transmission Division, Dumka for information & necessary action.
2. Additional Collector, Deoghar for information & necessary action..
3. Divisional Forest Officer, Deoghar Division for Information & necessary action.
4. Commissioner Santhal Pargana Division Dumka for information & necessary action.
5. Special Secretary to Government of Revenue and Land Reform Dept. Jharkhand Ranchi for information & necessary action.
6. Secretary to Government of Welfare Department, Jharkhand, Ranchi for information & necessary action.

28/03/25

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)
Deoghar.